भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3013

06 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

मलिन बस्ती पुनर्वास योजना

†3013. डॉ. आलोक कुमार सुमनः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में मलिन बस्ती संबंधी पुनर्वास योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) शहरी गरीबों के लिए आवास योजनाओं के अंतर्गत क्या प्रगति हासिल हुई है;

(घ) आवास परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन नीति की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत किस प्रकार आवास विकास का कार्य किया जा रहा है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): 'भूमि' तथा 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। अतः अपने नागरिकों के लिए आवास, स्लम पुनर्वास तथा आवास परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों में करते हैं। तथापि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) दिनांक 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है, ताकि देश-भर में शहरी बेघर व्यक्तियों तथा स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों सहित सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को पक्के आवास उपलब्ध कराए जा सकें।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभवों से मिली सीख के आधार पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने योजना में बदलाव किया है और देश-भर के शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से दिनांक 01.09.2024 से "सबके लिए आवास" मिशन के अंतर्गत पीएमएवाई-यू 2.0 का शुभारंभ किया है। पीएमएवाई-यू 2.0 का कार्यान्वयन चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) तथा ब्याज सहायता योजना

(आईएसएस) के माध्यम से किया जा रहा है। योजना के दिशा-निर्देश https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/Operational-Guidelines-of-PMAY-U-2.pdf लिंक पर उपलब्ध हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर दिनांक 13.07.2026 की स्थिति के अनुसार मंत्रालय द्वारा पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत 16.20 लाख आवासों सहित कुल 127.68 लाख आवासों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जिनमें देश-भर के शहरों में स्थित स्लम बस्तियों के आवास भी शामिल हैं। इनमें से 121.03 लाख आवासों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है तथा 99.07 लाख आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिनमें से पीएमएवाई-यू तथा पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत दिनांक 13.07.2026 की स्थिति के अनुसार 96.73 लाख आवासों को लाभार्थियों को सौंपा जा चुका है। योजना के अंतर्गत कुल 2.12 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता का अनुमोदन किया गया है, जिसमें से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत अनुपालनों के आधार पर 1.81 लाख करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। योजना के अंतर्गत स्वीकृत कुल आवासों में से 29 लाख से अधिक आवास स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए स्वीकृत किए गए हैं।

(ङ): स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) के अंतर्गत शहरी विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया गया था, जिसके अंतर्गत आवास को एक पृथक घटक के रूप में नहीं, बल्कि समग्र शहर योजना-निर्माण के भाग के रूप में शामिल किया गया था। चूंकि स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) की अवधि दिनांक 31.03.2025 को समाप्त हो चुकी है, इसलिए इसके अंतर्गत अब कोई नई योजना शुरू नहीं की जा रही है।
